भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4572
सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक)

तमिलनाडु में असंगठित क्षेत्र

4572. श्री जी॰ सेल्वमः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु में असंगठित क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में विशेषकर तमिलनाडु के संगठित और असंगठित क्षेत्र में कामगारों के नियोजन का उद्योग-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने कामगारों को असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में स्थानांतरित करने हेतु कदम उठाया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, गैर-कृषि एवं एजीईजीसी क्षेत्रों (एजीईजीसी क्षेत्र में फसल उगाने को छोड़कर कृषि क्षेत्र, बाजार बागबानी, उद्यान-विज्ञान एवं पशुपालन सहित फसलों को उगाना शामिल हैं) में सामान्य स्थिति आधार (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) पर अनौपचारिक क्षेत्र (अर्थात् मालिकाना एवं भागीदारी उद्यमों) में कार्यरत कामगारों का प्रतिशत देश में 68.4% तथा तमिलनाडु में 60.0% था।

इसके अतिरिक्त, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों हेतु) को उपलब्ध सीमा तक नीचे दिया गया हैः

राज्य	पीएलएफएस	श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण	
	2017-18	2013-14	2015-16
तमिलनाडु	51.0%	58.3%	56.3%

(टिप्पणीः पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

(ख): पीएलएफएस सर्वेक्षण के अनुसार, तमिलनाडु तथा पूरे देश में उद्योग (संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्र) के कार्य के अनुरूप सामान्य रूप से कार्यरत व्यक्तियों (पीएस+एसएस) के वितरण का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

(% में)

क्र.सं.	उद्योग	पीएलएफएस 2017-18	
		तमिलनाडु	अखिल भारत
1	कृषि	27.74	44.14
2	खनन और उत्खनन	0.37	0.41
3	विनिर्माण	19.45	12.13
4	विद्युत, जल, आदि	0.87	0.59
5	निर्माण	14.23	11.67
6	व्यापार, होटल और रेस्तरां	13.88	11.96
7	परिवहन, भंडारण और संचार	8.71	5.92
8	अन्य सेवाएं	14.75	13.18

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2017-18, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(ग) एवं (घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और विभिन्न योजनाओं में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। इस योजना का दोहरा लाभ है, जिसमें एक ओर, नियोक्ताओं को प्रतिष्ठान में कामगारों के रोजगार आधार को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर, इन कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच होगी। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में अनौपचारिक कामगारों को औपचारिक कार्यबल में शामिल करना है। कृषि क्षेत्र के कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए, सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है। यह अधिनियम (i) आजीवन एवं अपंगता सुरक्षा-राशि, (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण एवं (iv) केंद्र सरकार द्वारा यथा-निर्धारित किसी अन्य लाभ से संबंधित मामलों पर असंगठित कामगारों हेतु उपयुक्त कल्याण योजनाओं को बनाने का उपबंध करता है। असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एवं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से आजीवन एवं अपंगता सुरक्षा-राशि प्रदान की जाती है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारें लाभार्थी पर बगैर किसी भार के समान अंशदान में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करती हैं।

*****